## कैसे करें रजिस्ट्रेशन

- सबसे पहले cowin.gov.in की वेबसाइट पर जाएं और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करें.
- आपके नंबर पर आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा. इस नंबर को वेबसाइट पर पर लिखे ओटीपी बॉक्स में लिखें और वेरिफ़ाई लिखे आइकन पर क्लिक करें. इससे ये वेरिफ़ाई हो जाएगा.
- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पन्ना नज़र आएगा
- यहाँ अपनी जानकारी लिखें और एक फ़ोटो आईडी भी साझा करें.
- अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे- शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा अन्य तो इसकी जानकारी विस्तार से लिखें.
- जब ये जानकारी पूरी हो जाए तो रजिस्टर लिखे आइकन पर क्लिक करें.
- जैसे ही ये रिजस्ट्रेशन पूरा होगा आपको कम्प्यूटर स्क्रीन पर अपनी अकाउंट डिटेल नज़र आने लगेगी.

## विवसान क ।लए क्या डाक्युमट्स चााहए?

आप किसी भी मोड से रजिस्ट्रेशन कराएं, टीकाकरण से पहले आपको पहचान पत्र दिखाना होगा। सरकार ने 12 तरह के पहचान पत्रों को टीकाकरण के लिए अप्रूव किया है। ये इस प्रकार हैं:

- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- PAN कार्ड
- हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
- पेंशन डॉक्युमेंट
- बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक
- मनरेगा जॉब कार्ड
- MP/MLA/MLC का आईडी कार्ड
- सरकारी कर्मचारियों का सर्विस आईडी कार्ड
- नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड



इससे पहले दो चरणों में भी सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म का विकल्प रखा था लेकिन इसके अलावा लोगों को ये सुविधा दी गई थी कि वो सीधे वैक्सीन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते थे. इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है.

इसके साथ ही इस तीसरे चरण में कुछ और नियम भी सरकार ने बदल दिया है. पहले-दूसरे चरण में एक व्यक्ति चार लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता था लेकिन अब 1 मई से शुरू होने वाले चरण में एक शख़्स बस ख़ुद का ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है.

हालांकि पहले और दूसरे चरण का टीकाकरण तीसरे चरण के साथ-साथ चलता रहेगा और 45 साल ये ज़्यादा की उम्र के लोग 1 मई के बाद भी सीधे अस्पतालों में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.